तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 31/2022** **अनवान शैतान भारती बनाम गीतादेवी व अन्य**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
28.03.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी शैतान भारती पुत्र कालु भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– मालगांव, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–1 (गीतादेवी पत्नि तेजारामजी, जाति– गोस्वामी, निवासी– मालगांव) व अप्रार्थी संख्या 2 (श्रीमती तृप्ति पत्नि श्री राजेश पण्डिया, जाति– रावल, निवासी– मालगांव, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या– 3 (ग्राम पंचायत, गुलाबगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज) अनुपस्थित। प्रार्थी शैतान भारती पुत्र कालु भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– मालगांव की ओर से यह स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी गीतादेवी पत्नि तेजाराम जी, जाति– गोस्वामी, निवासी– मालगांव के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1480 वर्गफीट आवासीय भूमि का जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 09.10.2017 (जिस पर मिसल संख्या 171 दायर दिनांक 28.6.2017 अंकित है) को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन व प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 25.03.2025 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के दादा जगा भारती के पुश्तैनी स्वामित्व का एक बडा भूखण्ड ग्राम मालगांव में आया हुआ था, जिसकों प्रार्थी के दादा जगा भारती ने अपने तीन पुत्रों कालु भारती, शंकर भारती बाबु भारती के मध्य अपने जीवनकाल में मौखिक बंटवाड कर उक्त पूरे भूखण्ड़ के तीन भाग किये थे, जिसमें एक मकान बना हुआ था, इस मकान में से एक कमरा ओरली शंकर भारती व एक कमरा ओरली कालु भारती के हक में बंटवाड में आई थी और तीसरा भाग खाली भूखण्ड़ बाबु भारती के लिये रखा था। यह कि शंकर भारती की पत्नि सीता देवी ने शंकर भारती व बाबु भारती के हिस्से की सम्पति को आज से करीब 27 वर्ष पूर्व विजयराज पण्डिया परिवार को बेच दी थी और प्रार्थी के पिता व प्रार्थी की सहमति से प्रार्थी के पिता के कालु भारती के हक हिस्से आई कमरे मय सम्पति पर व प्रार्थी के पिता रोजगार हेतु बाहर होने के कारण सीतादेवी को रहने व देख रेख हेतु दी थी और प्रार्थी के पिता व प्रार्थी जब भी गांव आते तो उसमें ही निवास करते थे। प्रार्थी के पिता कालु भारती की मृत्यु के बाद उक्त सम्पति में प्रार्थी की सहमति व प्रार्थी की धनराशि से दो कमरों का निर्माण करवाया था और प्रार्थी ने सीतादेवी को उसमें रहने हेतु दिया था, लेकिन सीतादेवी ने ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से मेलमिलाप कर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे .....लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 31/2022** **अनवान शैतान भारती बनाम गीतादेवी व अन्य**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

स्वामित्व की मालकी के उक्त मकान व सम्पति का अपनी पुत्रवधू गीतादेवी पत्नि तेजाराम गोस्वामी के नाम से उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी करवा लिया तथा यह जानकारी होते हुए भी कि उक्त पट्टे की सम्पति प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व व मालकी की है, से प्रार्थी को बेघरबार करने की नियत से कीमतन मोल अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया। यदि उक्त पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा निर्माण किया जाता है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन कर बेचान किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और बहुविवाद में उलझना पडेगा। अतः निगरानी आवेदन के निर्णय तक उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने व बेचान नही करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन व प्रार्थना पत्र में सर्वथा मिथ्या व गलत कथन अंकित किये है। प्रश्नगत पट्टे की सम्पति, अप्रार्थी गीतादेवी के ससुर शंकर भारती के स्वयं के मालकी कब्जे स्वामित्व की सम्पति है जो शंकर भारती के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिसका ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है, इसलिये सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, वजुहातों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ताफैसला निगरानी बेचान व हस्तान्तरण करने पर रोक लगाई जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी गीतादेवी पत्नि तेजाराम जी गोस्वामी, निवासी– मालगांव के पक्ष में क्षेत्रफल 1480 वर्गफीट आवासीय भूमि का जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 09.10.2017 (जिस पर मिसल संख्या 171 दायर दिनांक 28.6.17 अंकित है) की भूमि का निगरानी आवेदन के निर्णय तक बेचान व हस्तान्तरण नही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही